

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Gövt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—2050—अ0प्र0—07 / पाकालि / 20—01—अ0प्र0—07 / 20

दिनांक 25/08/2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 40% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ एतद्वारा प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं-485—ए—आर/राविपि—01—28—एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/ गृह जनपद/ वर्ग/वरिक्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात तैनाती हेतु आवंटित डिरकॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
वैद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग – 40% प्रोन्नति कोटा				
1	श्री देवेन्द्र कुमार/ श्री राम सिंह यादव वि0/08.01.78/मेरठ/अन्य पिछड़ा वर्ग/9915	वि0वि0खं0, नजीबाबाद	पूर्वान्धल	2019232

2. इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर पारस्परिक एकल वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2019–20 में सहायक अभियन्ता (वि0 एवं या0) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0—04/विसेआ/2019/ए0ई0 द्वारा चयनित किये गये सहायक अभियन्ताओं के साथ Amalgamate करते हुए घोषित की जायेगी।
3. श्री देवेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता को, उनसे कनिष्ठ श्री मनोज कुमार यादव (वरि0 क्र0—9917) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि अर्थात 26.10.2019 से प्रोन्नत माने जाने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार को 26.10.2019 एवं सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के मध्य की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियन्त्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :–
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (घ) अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापि है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
 - (ङ) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में काऽज्ञाप0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उददेश्य के लिए मान्य होगा।
5. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से दो माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।

6. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :2050 –अ0प्र0–07 / पाकालि / 2020 / तददिनांक (25.08.2020)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल / पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा०का0लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-888-अनु0-01/ सहा०अभि०(पदो) / 19-20, दिनांक 04.10.2019 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में एवं श्री देवेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-3626 / 2020 में मा० न्यायालय ने दिनांक 10.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।
7. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (अ0प्र0-03 / 04 / गोपन), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03 / 04), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
13. संबंधित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार (वरि० क्र०-9915)(अभि० सं0-2019232) सहायक अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टफिकेट) उप सचिव (03 / 04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को उच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. पत्रावली सं0-25-अ0प्र0-07 / 19 / गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से
Lijhu

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)